HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला के मामले में 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6,500-6,500/- रुपये (कुल 19,500/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.08.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 10.05.2013 को अभियुक्तगण 1. जयपाल पुत्र रामकिशन, 2. बिट्टू पुत्र जयपाल व 3. दीपक पुत्र जयपाल निवासीगण बिच्छूपुरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा वादी के भाई व पिता के साथ मारपीट कर घायल करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 83/13 धारा 307, 323, 504, 506, 324 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 24.05.2013 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 04.08.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6,500-6,500/- रुपये (कुल 19,500/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द्र शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 सुखवीर सिंह एवं पैरोकार है0का0 रघुवीर व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 अंजू का विशेष योगदान रहा।